International Peer Reviewed,Referred,Indexed,Multidisciplinary, Multilingual,Monthly Research Journal

Month - December - 2023 Vol - I Issue -XII

ISSN (P) : 2250-2556
ISSN (E) : 2320-5458
Impact Factor : SJIF- 6.176

International Research and Review

Editor

Neha Singh

Published By

Captain Netram Singh Charitable Trust

Published By
Captain Netram Singh Charitable Trust,

www.ugcjournal.com/IRR

मुख्य सम्पादक का मानद पद कार्य पूर्णतः अवैतनिक है।
इस शोध पत्रिका के प्रकाशन, सम्पादन मुद्रण में पूर्णतः सावधानी बरती गई है। किसी भी प्रकार की त्रुटि महज मानवीय भूल मानी जाये।
शोध पत्र की समस्त जिम्मेदारी शोधपत्र लेखक की होगी।उक्त जर्नल में प्रकाशन हेतु भेजे गए पेपर सामग्री का सम्पूर्ण नैतिक दायित्व पेपर लेखक का होगा। मुख्य संपादक ,प्रकाशक ,मुद्रक , पिअर रिविव्यु मंडल जिम्मेदार नहीं होगा। लेखकों से अनुरोध है किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी न करें।
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर ही होगा।

1. Editing of the research journal is processed without any remittance. **The selection and publication is done after recommendation of Peer Reviewed Team, Refereed and subject expert Team.**
2. Thoughts, language vision and example in published research paper are entirely of author of research paper. It is not necessary that both editor and editorial board are satisfied by the research paper. **The responsibility of the matter of research paper is entirely of author.**
3. Along with research paper it is compulsory to sent Membership form and copyright form. Both form can be downloaded from website i.e. **www.ugcjournal.com**
4. In any Condition if any National/International university denies to accept the research paper published in the journal then it is not the responsibility of Editor, Publisher and Manangement.
5. Before re-use of published research paper in any manner, it is compulsory to take written acceptance from Chief Editor unless it will be assumed as disobedience of copyright rules.
   In case of plagiarism, the entire moral responsibility of the paper material will rest with the author only.
6. **The entire moral responsibility of the paper material sent for publication in the said journal will be that of the paper author. Chief Editor, Publisher, Printer, Peer Review and Refereed Board will not be responsible.**

Authors are requested not to do any kind of plagiarism

7. All the legal undertaking related to this research journal are subjected to be hearable at jaipur jurisdiction only.

EDITORIAL BOARD OF OUR JOURNALS

Patron

Prof. Dr. Alireza Heidari
Full Professor And Academic Tenure, USA

Chief Editor

NEHA SINGH
Dr.Krishan Bir Singh

Associate Chief Editor

Ravindrajeet Kaur Arora
S. Bal Murgan
Dr. Sandeep Nadkarni
Dr. A Karnan
Dr. S.R. Boselin Prabhu
Deepika Vodnala
Dr. Kshitij Shinghal
Christo Ananth
Gopinath Palai
Dr. Neeta Gupta
Dr. Vinita Shukla
Harold Jan R. Terano
Dr Sajid Mahmood
Dr Pavan Mishra

Editor

Dr.H.B.Rathod
Dr.Kishori Bhagat
Dr. Mohini Mehrotra
Dr. Arvind Vikram Singh
Dr. Suresh Singh Rathore
Bindu Chauhan
Kamalnayan. B. Parmar
Dr.sanjay B Gore
Dr. A.karnan
Dr.amita Verma
Dr . Ity Patni
Dr. Somya Choubey
Dr.surinder Singh
Dr. Manoj S. Shekhawat,
Dr. Anshul Sharma
Dr. Ramesh Kumar Tandan
S N Joshi
Dr. Sant Ram Vaish
Dr. Vinod Sen
Dr. Sushila Kumari
Dr Indrani Singh Rai
Dr Abhishek Tiwari
Prof.S.K.Meena
Prof.Praveen Goswami
G Raghavendra Prasad

International Advisory Board

Aaeid M. S. Ayoub
Geotechnical Environmental Engineering
Uqbah bin Muhammad Iqbal
Postgraduate Researcher
Badreldin Mohamed Ahmed Abdulrahman
Associate Professor
Dr. Alexander N. LUKIN
Principal Research Scientist & Executive Director
Dr. U. C. Shukla
Chief Librarian and Assistant Professor
Dr. Abd El-Aleem Saad Soliman Desoky
Professor Assistant
Prof. Ubaldo Comite
Lecturer
Moustafa Mohamed Sabry Bakry
Dr Sajid Mahmood
Shameemul Haque

International Research and Review

Dr. Dnyaneshwar Jadhav
Akshey Bhargava
Dr. A. Dinesh Kumar
Dr. Pintu Kumar Maji
Dr Hanan Elzeblawy Hassan
Sandeep Kumar Kar
Dr.R.devi Priya
Dr.P.Thirunavukarasu
Dr. Srijit Biswas
Parul Agarwal
Dr. Preeti Patel
Archana More
Dr. Harish N
Dr. Seema Singh
Dr. Ram Singh Bhati
Dr. Pankaj Gupta
Dr Arvind Sharma
Dr. Ramesh Chandra Pathak

Dr. Ankush Gautam
Dr Markandey Dixit
Dr. Manoj Kumar
Ratko Pavlovi, Phd
Dr.S.Mohan
Dr Ramachandra C G
Dr.Sivakumar Somasundaram
Dr. Sanjeev Kumar
Dr. Padma S Rao
Dr Munish Singh Rana
Dr. Piyush Mani Maurya

Associate Editor

Dr. Yudhvir Redhu
Dr.Kiran B.R
Dr Richard Remedios
Dr. R Arul
Anand Nayyar
Dr . Ekhlaque Ahmad
Dr. Snehangsu Sinha
Dr Niraj Kumar Singh
Sandeep Kataria
Dr Abhishek Shukla
Somesh Kumar Dewangan
Amarendra Kumar Srivastav
Dr K Jayalakshmi
Dilip Kumar Jha

Assistant Editor

Jasvir Singh
Dr.pintu Kumar Maji
Dr. Soumya Mukherjee
Prof Ajay Gadicha
Ashutosh Tiwari
Gyanendra Pratap Singh
Jitendra Singh Goyal
Ashish Jaiswal
Hiten Barman
Dr. Priti Bala Sharma

Subject Expert

Dr. Jitendra Arolia
Dr. Suresh Singh Rathore
Dr.kishori Bhagat
Dr Mrs Vini Sharma
Ranjan Sarkar
Chiranji Lal Parihar
Dr. Lalit Kumar Sharma
Dr Amit Kumar
Santosh Kumar Jha
Dr . Ekhlaque Ahmad
Naveen Kumar Kakumanu
Dr. Chitra Tanwar
Jyotir Moy Chatterjee
Somesh Kumar Dewangan
Raffi Mohammed
Dr. Sunita Arya
Dr. Ram Singh Bhati
Dr. Janak Singh Meena
Dr. Neha Kalyani

International Research and Review

Dr. Rajeev Nayan Singh
Dr. Pankaj Rathore
Dr. Mahendra Parihar
Pradip Kumar Mukhopadhyay
Dr Vijay Gaikwad

Research Paper Reviewer

Dr. B H Kirdak
Amit Tiwari
Dr Dheeraj Negi
Dr. Shailesh Kumar Singh
Dr. Meeta Shukla
Dr. Ranjana Rawat
Sonia Rathi
Dr.Anand Kumar
Dr.Pardeep Sharma
Anil Kumar
Dr. Deepa Dattatray Kuchekar
Dr Ade Santosh Ramchandra

Guest Editor

Dr. Lalit Kumar Sharma
Dr. Falguni S. Vansia

Chief Advisory Board

Ashok Kumar Nagarajan

Advisory Board

Dr. Naveen Kumar
Manoj Singh Shekhawat
Pranit Maruti Patil
Vishnu Narayan Mishra

International Research and Review

International Research And Review

ISSN(P) : 2250-2556
ISSN(E) : 2320-5458
Impact Factor : 6.176(SJIF)

Issue- December-2023

Research Paper - Education

आर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान

प्रो. बी. एल. जैन
विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग,
जैन विश्व भारती संस्थान लाडनूं (राज.)

डॉ अमिता जैन
सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग,
जैन विश्व भारती संस्थान लाडनूं (राज.)

international Research and Review

सारांश–

महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और वर्तमान में महिलाओं ने एक सशक्त नारी की छवि स्थापित की है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बिना देश की प्रगति, उन्नति एवं समृद्धि संभव नहीं है। सरकार भी महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र से जोड़ने हेतु उनका प्रशिक्षण, बाजारों से वस्तुओं का विनिमय, उद्योग खोलने हेतु ऋण उपलब्धता आदि अनेक सहयोग प्रदान किये जा रहे हैं। आज अर्थ के अनेक क्षेत्रों में महिलायें सहयोग से अग्रिम भूमिका की ओर बढ़ रही है। आज दलित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण महिलाओं के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। वे अपने घर में भोजन बनाने, कपड़े धोने, बच्चे पालने तक अपने को सीमित मानती है। काफी महिलाएं शिक्षा के द्वार पर नहीं पहुंच पाई है, उनका आर्थिक विकास छोटे–छोटे लघु उद्योगों से किया जा सकता है। उनके अंदर हुनर है लेकिन हुनर को प्रकट करने का परिवेश नहीं है।

मूल शब्द–व्यावसायिक स्थिति, आर्थिक भागीदारी, महिला शिक्षा,लघु उद्योग

प्रस्तावना–

भारत सरकार ने नारी शक्ति का संवर्धन करने हेतु अनेक उद्यमिता कार्यक्रम संचालित किए हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के बिना देश की प्रगति, उन्नति एवं समृद्धि संभव नहीं है। सरकार भी महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र से जोड़ने हेतु उनका प्रशिक्षण, बाजारों से वस्तुओं का विनिमय, उद्योग खोलने हेतु ऋणउपलब्धता आदि अनेक सहयोग प्रदान किये जा रहे हैं। आज अर्थ के अनेक क्षेत्रों में महिलायें सहयोग से अग्रिम भूमिका की ओर बढ़ रही है। भारत की महिलाओं का कार्य सहभागिता अनुपात 25% है, उसे आगे बढाने का प्रयास हमें निरंतर करना है। एमएसएमई महिलाओं के विकास में मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन, आय की समानता, क्षेत्रीय असमानताओं से मुक्त कर आर्थिक, सामाजिक विकास में प्रगति करता है। 27 जनवरी 2023 तक एमएसएमई में कुल रोजगार के 23.59% रोजगार सृजित हुए हैं। महिला उद्यमिता के अंतर्गत महिला दस्तकारी, मधुमक्खी पालन,पॉटरी, चमड़े का सामान बनाना, फल और सब्जियों के प्रसंस्करण,बेकरी पाठ्यक्रम, टेलरिंग, सिलाई–कढ़ाई (एंब्रॉयडरी), सर्फ बनाना, साबुन बनाना, ब्यूटीशियन कोर्स करना, नए क्षेत्रों में कार्य उत्पादन बढ़ाना, सूक्ष्म,लघु, मध्यम उद्योग खोलना, मैन्युफैक्चरिंग का काम आदि। आज दलित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण महिलाओं के विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। वे अपने घर में भोजन बनाने, कपड़े धोने, बच्चे पालने तक अपने को सीमित मानती है। काफी महिलाएं शिक्षा के द्वार पर नहीं पहुंच पाई है, उनका आर्थिक विकास छोटे–छोटे लघु उद्योगों से किया जा सकता है। उनके अंदर हुनर है लेकिन हुनर को प्रकट करने का परिवेश नहीं है। हुनर प्रकट करने के कार्यक्रम, मेले, प्रशिक्षण आदि आयोजित करने चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकारें भी इस प्रकार पिछड़ी हुई महिलाओं के विकास को समृद्ध बनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित करती है ताकि विकास के कदम में वे भी अपना हाथ बढ़ावें। आर्थिक कारण से वह उद्योग नहीं खोज पाती हैं तो सरकार उनको ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना आर्थिक विकास कर सके। इन महिलाओं को कार्यबल में अग्रसर करना, उनके मन मुताबिक रोजगार दिलाना, समर्थन एवं प्रोत्साहन देना, उत्पाद के क्षेत्र में, अक्षम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना, कृषि के नवाचारों से भी ओतप्रोत कराना, फसल प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा से जागरुक करना आदि कार्य आर्थिक कारण हेतु किये जा रहे है।

नारियों का देश की अर्थव्यवस्था में प्राचीनकाल से ही किसी–न–किसी रूप में योगदान रहा है। नारियों के आर्थिक एवं उत्पादक कार्यों का निर्धारण मानव सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही चला रहा है। यद्यपि नारियाँ

International Research and Review

शिकार करने नहीं जाती थीं, लेकिन उनको परिवार में ही रहकर विभिन्न कार्य जैसे अनाज साफ करना व उसे काटना, छानना, पीसना आदि प्रमुख थे। पशुपालन युग प्रारम्भ हुआ तो उसमें भी महिलाओं को अनेक घरेलू कार्य करने पड़ते थे जिनमें पशुओं की देखभाल करना, दूध से अनेक व्यंजन बनाना, पशुओं की सेवा टहल करना आदि प्रमुख थे। इसके बाद जब कृषि युग आया तब महिलाओं को जो विभिन्न घरेलू कार्य करने पड़ते थे उनमें घर में कपड़ा बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, टोकरियाँ बनाना तथा कूटना–पीसना आदि प्रमुख थे।

1. औद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव– औद्योगिक क्रान्ति ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि महिलाओं ने पारिवारिक सीमाओं का परित्याग करके घर से बाहर भी कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि औद्योगिक जगत में महिलाओं को अब श्रम करने के अधिक अवसर प्राप्त होने लगे। जिस समय उन्नीसवी शताब्दी का समापन हुआ तो उस समय सम्पूर्ण महिलाओं का वर्ग 'श्रमजीवी वर्ग' के रूप में अपना स्थान ग्रहण कर चुका था। उस समय श्रमिक महिलाओं की स्थिति का प्रतिशत विभिन्न देशों में इस प्रकार था–अमेरिका में 33%, जर्मन में 36%, पोलैण्ड में 44.8%, रूस में 45% तथा भारत में 27% जो विभिन्न व्यवसायों में आज भी व्यापक रूप से कार्यरत हैं।

2. भारतीय महिलाओं की व्यावसायिक स्थिति– यद्यपि भारत में महिलाओं के घरेलू कार्यों का निर्धारण प्राचीन काल में ही हो गया था, लेकिन इन कार्यों में महिलाओं की सहभागिता में उन्नीसवी सदी के अन्तिम चरण में काफी तेजी आ गयी थी, जिसका प्रभाव समाज के प्रत्येक वर्ग की महिलाओं पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। इसका विवरण इस प्रकार है–

(i) निम्न वर्गीय महिलाओं के प्रमुख कार्यः– जब औद्योगिक क्रान्ति का समापन हुआ तो उस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। इस महँगाई के कारण समाज की निम्नवर्गीय महिलाओं को परिवार से निकलकर विभिन्न व्यावसायिक कार्य करने पड़े। इस वर्ग की महिलाओं के प्रमुख कार्यखेतों का जोतना, पत्थर की खानों तथा चाय के बागानों में चाय की पत्तियां निकालना आदि था।

(ii) मध्यम वर्गीय महिलाओं के प्रमुख कार्यः– भारतीय व्यवसायों में मध्यम वर्गीय महिलाओं का प्रवेश काफी समय बाद हुआ। इस सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री **श्री पी० सेन गुप्ता** ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि "महिला शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए और महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षक के धन्धे का द्वार खुला।"महिलाओं का दूसरा प्रमुख कार्य परिचारिकाका कार्य था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्रियों को सन् 1875–76 ई० में 'परिचारिका' का प्रमुख रूप से प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं की व्यावसायिक गतिविधियाँ देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ बढ़ती चली गई।जैसे–जैसे शैक्षिक प्रचार होता गया वैसे–वैसे सरकार के प्रशिक्षणयुक्त व्यवसायों में महिलाओं की सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। सन् 1920 में महिलाओं ने व्यावसायिक क्षेत्र में अपना एक निश्चित स्थान बना लिया था। स्वतन्त्र भारत में भी मध्यम वर्गीय महिलाओं के कार्य करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी तथा उनकी विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विभिन्न कानून पारित किए गए। मध्यम वर्गीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का विवरण **श्रीमति पी० सेन गुप्ता** ने अपनी 'वीमेन वर्कर्स ऑफ इण्डिया' में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया है–

1. शैक्षिक कार्यः – मध्यम वर्गीय महिलाओं का सबसे प्रथम व प्रमुख कार्य शिक्षण कार्य है। इसीलिए आज महिलाएँ शिक्षिका, प्रोफेसर या मुख्य आचार्य के पद पर कार्य कर रही है।

2. स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यः – मध्यम वर्गीय महिलाओं का द्वितीय प्रमुख कार्य स्वास्थ्य कार्य है। इसलिए आज

International Research and Review

स्वास्थ्य विभाग में दाई, परिचायिका, स्वास्थ्य निरीक्षिका, सामान्य डॉक्टर या चिकित्सक के पद पर अधिकांश महिलाएं कार्य कर रही है।

3. कारखाना सम्बन्धी कार्यः – प्रायःआज विभिन्न प्रकार के कारखानों में भी विभिन्न कार्यों के लिए महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता हैजिनमें कपड़े, तम्बाकू, आटा मीलें, तेल तथा काजू आदि के कारखाने प्रमुख है।

4. खान सम्बन्धी कार्यः – कोयला, इस्पात, पत्थर, अभ्रक, मैगनीज, इस्पात आदि खानों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है।

5. बगीचे (बागान) सम्बन्धी कार्यः – आज महिलाएँ चाय, कॉफी, रबर के बागानों में भी पर्याप्त संख्या में कार्य कर रही है।

6. कला सम्बन्धी कार्यः– प्राचीन काल में नृत्य करने वाली महिलाओं को आलोचना युक्त दृष्टिकोण से देखा जाता था क्योंकि यह कार्य बाह्य बालाओं या वेश्याओं का ही माना जाता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आज समाज में नृत्य, संगीत तथा कला को काफी महत्त्व दिया जाने लगा है। इसीलिए इस क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश सम्माननीय हो गया है।

7. विधिक क्षेत्र में: – आज महिलाओं ने विधिक क्षेत्र पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, क्योंकि आजकल वकील, बैरिस्टर या न्यायाधीशों के पद पर महिलाएँ कार्य कर रही है, विधिक क्षेत्र के अतिरिक्त कूटनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएँ कार्य कर रही हैं।

8. ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी कार्यः– आधुनिक काल में सरकार द्वारा संचालित सामुदायिक योजना के अन्तर्गत ग्राम सेविकाओं के पद पर महिलाओं को नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के रूप में भी महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है।

9. सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यः– आज महिलाओं से सस्ती दरों पर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य कराए जाते हैं, जिनमें नये रास्तों का निर्माण, भवन निर्माण कार्य तथा नदी योजनाओं में बांध निर्माण आदि का कार्य प्रमुख है।

10. लघु व्यवसायः– महिलाएं कुछ व्यावसायिक कार्य घर पर रहकर ही करती हैं, क्योंकि इनमें मशीनो तथा बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इन कार्यों में मछली पकड़ना, बीड़ी बनाना, रंगाई, सिलाई–कढ़ाई, बुनाई आदि का कार्य करना, छपाई का कार्य करना, खिलौने बनाना आदि प्रमुख कार्य हैं। कुछ महिलाएँ घर पर रहकर ही पापड़, आचार भी बनाती है। घर पर कागज के थैले आदि भी तैयार करना, गत्ते के डिब्बे बनाना, चटाई व टोकरियाँ आदि बनाना भी इन्हीं कार्यों में शामिल होते हैं।कुछ महिलाएं रेलवे तथा अन्य विभागों में भी परिचारिकाओं के रूप में कार्य कर रही हैं।

11. अन्य कार्यः– उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त महिलाएँ दुकानों, दफ्तरों तथा वितरण केन्द्रों पर भी कार्य कर रही हैं। महिलाएं सहायकटाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर आदि के पदों पर भी कार्य करती हैं। आज बहुत सी महिलाएं सिलाई–कढ़ाई की दुकानों पर कार्य ही नहीं कर रही है, अपितु बैंकों आदि से ऋण प्राप्त कर स्वयं इनके केन्द्रों का संचालन कर रही हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि आज भारत केआर्थिक विकास में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं है। जिस महिला को कुछ समय पूर्व तक अबला, निम्न स्तर की स्त्री माना जाता था, आज वही महिला पुरुषों से सम्बन्धित क्षेत्रों में उनसे आगे निकल गयी है।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में **महिलाओं की स्थिति** में परिवर्तन हो रहे हैं। वे अब अपने अधिकारों के प्रति न केवल जागरूक होती जा रही हैं बल्कि अपने अधिकारों को प्राप्त भी कर रही हैं। भारत में महिलाओं के

International Research and Review

आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों तथा उनकी प्राप्ति का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है–

• **महिलाओं के आर्थिक या सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार** –भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, जनजातियों, वर्गों तथा सम्प्रदायों में सम्पत्ति के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रावधान या नियमों का प्रचलन पाया जाता है। वर्तमान बदलते परिवेश में सम्पत्ति सम्बन्धी मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है–

1. विवाहित महिला का सम्पत्ति अधिकार अधिनियमः – इस अधिनियम के पारित होने से पहले स्त्रियों को पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार नहीं था, किन्तु इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को परिवार की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है। अब महिला को परिवार की किसी भी स्रोत से होने वाली आय पर अधिकार प्राप्त है। स्त्री को कला, बौद्धिक या साहित्यिक स्रोत से होने वाली आय, पारिवारिक बचत से होने वाली आय, महिला के बीमा पॉलिसी से होने वाली आय इत्यादि।

2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियमः – इस अधिनियम से महिलाओं को जो आर्थिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनका उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है–

1. मातृसत्तात्मक परिवारों पर भी यह अधिनियम लागू होता है।
2. महिला धन तथा महिला के विरासत सम्बन्धी कानूनों को समाप्त कर दिया गया है।
3. महिला को पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो गया है।
4. चल तथा अचल सभी प्रकार की सम्पत्ति पर महिलाओं को अधिकार प्राप्त हो गया है।
5. पुरुषों तथा महिलाओं को सम्पत्ति सम्बन्धी समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं।
6. उत्तराधिकार का आधार पिण्डदान या रक्त सम्बन्ध के साथ–साथ स्नेह तथा प्रेम भी माना गया है।
7. इस संविधान में दूर के सम्बन्धियों का भी उल्लेख मिलता है।
8. यह संविधान महिला तथा पुरुष में कोई भेद नहीं करता है।
9. रोग सम्पत्ति के उत्तराधिकार में बाधक नहीं है।
10. यह संविधान पुत्रियों को पुत्रों के समकक्ष मानता है।
11. इस कानून ने महिलाओं को उच्च स्थिति प्रदान की है।

3. मुस्लिम महिलाओं का सम्पत्ति पर अधिकारः – मुस्लिम समाज में स्त्रियों को तुलनात्मक रूप से अधिकार प्राप्त हैं, जैसे–

1. मुस्लिम महिलाओं को पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त है।
2. मुस्लिम समाज में महिला को शरीयत या इस्लामिक कानून के अनुसार अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है।
3. विवाह के समय स्त्री जो धन लाती है वह अपने पति से वापस मांग सकती है।
4. पत्नी के भरण–पोषण का उत्तरदायित्व पति का होता है।

• **महिलाओं के राजनैतिक अधिकार**–यदि राजनैतिक क्षेत्र पर दृष्टि डाली जाए तो यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि राजनैतिक क्षेत्र में भी महिलाओं में जागरूकता का अभाव है। इसीलिए वह सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक भागीदारी नहीं कर पाती हैं। भारत में अनेक ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित हैं जो महिलाओं का राजनैतिक दृष्टिकोण से जागरूक होने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अशिक्षा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा इत्यादि के कारण महिलाएँ

International Research and Review

राजनैतिक क्षेत्र में पिछड़ी हुई हैं। अभी भी महिलाएं परिवार के पुरुष सदस्यों की इच्छा के अनुसार मतदान करती हैं। यद्यपि महिलाएं ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्रपति पद तक पर विराजमान हैं। यदि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो महिलाएं अभी भी अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के सहयोग से इन पदों पर कार्य कर रही हैं। किन्तु अब धीरे–धीरे परिस्थितियां बदल रही है और वे राजनैतिक दृष्टिकोण से न केवल जागरूक हो रही हैं वरन् सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी भी कर रही हैं।स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान **गाँधीजी** ने यह अनुभव किया कि महिलाएँ स्वतन्त्रता संग्राम में महती भूमिका निभा सकती हैं। अतः उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में महिलाओं का आह्वान किया जिसका परिणाम यह हुआ कि अनेको महिलाएं गाँधीजी के साथ स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़ी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1951 से लेकर 2009 तक जो लोकसभा, विधानसभा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत इत्यादि के जो चुनाव हुए उनमें महिलाओं ने चुनाव लड़ा और अनेक महिलाएँ चुनाव जीतकर विभिन्न राजनैतिक पदो पर आसीन हुई। यद्यपि प्रारम्भ में चुनावों में महिलाओ का प्रतिशत कम था किन्तु धीरे–धीरे चुनावों में महिला प्रत्याशियों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है।भारत की प्रथम महिला प्रधानमन्त्री के रूप में श्रीमती **इन्दिरा गांधी** का चुना जाना भारतीय महिलाओं का राजनीति में सक्रिय होना ही दर्शाता है, प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती **प्रतिभा देवी पाटिल** का चुना जाना भी इस ओर संकेत करता है कि भारत में महिलाएं जागरूक होती जा रही हैं। श्रीमती **सोनिया गांधी, विजयराजे सिंधिया, मायावती, ममता बनर्जी, जय ललिता, शीला दीक्षित, उमा भारती, सुषमा स्वराज, नजमा हेपतुल्ला, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, द्रौपदी मुर्मु, दिया कुमारी** आदि महिलाओं का राजनीति में सक्रिय होना महिलाओं की राजनैतिक जागरुकता तथा सक्रियता को ही दर्शाता है।पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बाद भारत ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया, जिससे ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं में जैसे–जैसे साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, वैसे–वैसे उनकी राजनैतिक जागरुकता तथा सक्रियता बढ़ती जा रही है।इस बढ़ती साक्षरता दर ने महिलाओं को राजनैतिक रूप से जागरुक तथा सक्रिय किया है।

निष्कर्ष–

स्टार्टअप नए भारत की रीढ़ है। यह स्टार्टअप नवाचार को प्रोत्साहित के साथ महिला विकास में अनूठा योगदान प्रदान करेगा। नवाचार महिलाओं के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में घरेलू जीवनोपयोगी सामग्री निर्माण, दैनिक जीवन से संबंधित व्यवसाय उन्हें आत्मनिर्माण बनाने में सक्षम होंगे। आत्मनिर्भर भारत ही हमें विकसित देशों की श्रेणी में अग्रसरित कर सकेगा। देश में महिलाएं जितनी समृद्ध होंगी, उतना ही हम आर्थिक विकास कर सकेंगे। महिलाओं को समृद्ध बनने हेतु उन्हें अपने पर खड़ा होना सीखना चाहिए। नवाचार को बढ़ावा देना,उद्धमियों में उनकी सहायता प्रदान करना, स्टार्टअप में महिला निदेशक, महिला सदस्यों की कार्यकारिणी बनानी चाहिए, महिलाओं का स्टार्टअप हब बने, असाधारण नवाचारों को ग्रामीण महिलाओं के क्षेत्र में भी लाने का प्रयास करना चाहिए, नए कार्यों की संकल्पना को बढ़ाने का प्रयास महिलाओं को अपने जीवन चक्र में करना चाहिए।

International Research and Review

सन्दर्भ ग्रन्ध सूची–

- कोठारी, गुलाब (2006), नारी, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर
- नीरज, सुरेश (2005), शिक्षा मेंक्रांति, ताओपब्लिशिंगप्रा. लि., 50 कोरगांवपार्क, पुणे
- गुप्ता,एस.पी. (2005), भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवंसमस्याएं, शारदापुस्तकभवन, 11 यूनिवर्सिटीरोड़, इलाहाबाद
- आचार्यश्रीराम शर्मा (2006), गृहलक्ष्मी की प्रतिष्ठा, युगनिर्माण योजना, गायत्री तपोभूमिमथुरा
- कोठारी, गुलाब (2015), मानस, नारीऔरमातृत्व, पत्रिका प्रकाशन, जयपुर
- निर्वाणश्री, साध्वी (2012), आदर्शनारियां (खण्ड–1) आदर्शसाहित्य संघ, नईदिल्ली
- निर्वाणश्री, साध्वी (2012), आदर्शनारियां (खण्ड–2) आदर्शसाहित्य संघ, नईदिल्ली

international Research and Review